संख्या-37/2016 /2537 सी0डी0/46-3-16-1000(28)/2016

प्रेषक

सुबोध कुमार श्रीवास्तव
संयुक्त सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी,
मुजफ्फरनगर, मेरठ, लखीमपुर एवं बस्ती।

चीनी उद्योग अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 22 दिसम्बर, 2016

विषय-वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-23 (सामान्य/आयोजनागत) के अन्तर्गत अंशदायी आधार पर कृषि विपणन सुविधाओं के लिये अन्तर्ग्रामीण सड़कों का निर्माण योजना (जिला योजना) में स्वीकृत सड़क का निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत कार्ययोजना/लागत व राज्यांश में विभिन्न कारणों से हुई बचत की धनराशि से कतिपय जनपदों में नयी सड़कों का निर्माण कार्य व अन्य संशोधनों के_संबंध में संशोधित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में वित्तीय वर्ष 2016-17 के **अनुदान संख्या-23 (सामान्य/आयोजनागत)** के अन्तर्गत अंशदायी आधार पर कृषि विपणन सुविधाओं के लिये अन्तर्ग्रामीण सड़कों का निर्माण योजना (जिला योजना) के सापेक्ष वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-09/2016/1426सी0डी0/46-3-16-1000(28)/ 2016 दिनांक 14.07.2016 के अनुक्रम में पत्र संख्या- 918/12-निर्माण दिनांक 15.12.2016 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गन्ना आयुक्त के प्रस्ताव दिनांक दिनांक 15.12.2016 के क्रम में, सम्यक विचारोपरान्त उपर्युक्त शासनादेश संख्या-9/2016/1426सी0डी0/46-3-16-1000(28)/2016 दिनांक 14.07.2016 द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 के **अनुदान संख्या-23 (सामान्य/आयोजनागत)** के अन्तर्गत अंशदायी आधार पर कृषि विपणन सुविधाओं के लिये अन्तर्ग्रामीण सड़कों का निर्माण योजना (जिला योजना)के संबंध में अनुमोदित कार्ययोजना एवं दी गई वित्तीय स्वीक़ति के परिप्रेक्ष्य में स्वीकृत कार्ययोजना में से कतिपय सड़कों में निविदा कम दरों पर प्राप्त होने के कारण बचत होने एवं उक्त हो रही बचत के सापेक्ष कतिपय नई सड़कों का निर्माण कार्य कराये जाने एवं कतिपय अन्य संशोधन अपेक्षित होने के द्रष्टिगत उपर्युक्त संदभ्रित शासनादेश दिनांक 14.07.2016 के द्वारा पूर्व में प्रदान की गयी प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति को निम्नानुसार संशोधित/परिमार्जित करने तथा नयी सड़कों के संबंध में प्रशासकीय अनुमोदन सहित वित्तीय स्वीकृति दिये जाने व अन्य के संबंध में श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है-

(1) इस शासनादेश के **संलग्नक-1 में उल्लिखित** जनपद मुजफ्फरनगर में 02, मेरठ में 02, लखीमपुर में 01, एवं बस्ती में 02, (कुल 07) सड़कों के निर्माण कार्य के संबंध में उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 14.07.2016 द्वारा निर्गत प्रशासकीय अनुमोदन/वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष, निविदा कम दरों पर प्राप्त होने एवं मैक्सफाल्ट की दर में कमी होने के कारण हुई बचत के द्रष्टिगत, **संलग्नक-1 में यथाउल्लिखित सड़कों हेतु** स्वीकृत की गयी कार्ययोजना/लागत व राज्यांश को संशोधित करते हुये, इस शासनादेश के **संलग्नक-3** के अनुसार कार्ययोजना/लागत व राज्यांश के संबंध में संशोधित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) इस शासनादेश के **संलग्नक-1 में उल्लिखित** सड़कों की कार्ययोजना संशोधित किये जाने के कारण राज्यांश की बचत की धनराशि रू0 14,35,400/- (रू0 चौदह लाख पैंतीस हजार चार सौ मात्र) से, इस शासनादेश के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संलग्नक-3 में उल्लिखित विवरण के अनुसार, जनपद मुजफ्फरनगर में 01 तथा जनपद मेरठ में 01, (कुल 07) चयनित सड़कों का निर्माण कार्य कराये जाने हेतु कुल आंकलित लागत रू0 12,26,700/- (रू0 बारह लाख छब्बीस हजार सात सौ मात्र) की कार्ययोजना का प्रशासकीय अनुमोदन तथा कार्ययोजना/लागत के सापेक्ष योजना हेतु निर्धारित फण्डिग पैटर्न के अनुसार राज्यांश (80 प्रतिशत) की धनराशि रू0 9,24,000/- (रू0 नौ लाख चौबीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(4) इस शासनादेश के **संलग्नक-4** में उल्लिखित जनपद मेरठ की सड़क **"हसनपुर से रछौती तक (लम्बाई लगभग 1.400 कि0मी0)'** के गणनात्मक त्रुटि के कारण शासनादेश दिनांक 14.07.2016 द्वारा की कार्ययोजना लागत रू0 47.999 का प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान करते हुए राज्यांश (80 प्रतिशत) की धनराशि रू0 37.620 लाख की वित्तीय स्वीक़ृति प्रदान की गयी थी, जबकि उक्त सड़क की वास्तविक आगणन/लागत रू0 52.840 है । अत इस शासनादेश के **संलग्नक-4 में उल्लिखित** जनपद मेरठ की सड़क की कार्ययोजना को **संलग्नक-5 में उल्लिखित विवरण के अनुसार**, संशोधित करते हुए तदनुसार राज्यांश (80 प्रतिशत) की धनराशि रू0 42.130 लाख की स्वीकृति प्रदान करते हुए राज्यांश के अन्तर की धनराशि रू0 4.51 लाख (रू0 चार लाख इक्यावन हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(5) उपर्युक्त के अनुसार, उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश संख्या-9/2016/1426 सी0डी0/46-3-16-1000(28)/2016 दिनांक 14.07.2016 को संशोधित समझा जाय।

4- **उपर्युक्त प्रस्तर-2 में प्रदान की जा रही प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति, उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश संख्या-9/2016/1426 सी0डी0/46-3-16-1000(28)/2016 दिनांक 14.07.2016 में उल्लिखित नियमों, शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी ।**

भवदीय,

(सुबोध कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

संख्या-संख्या-37/2016 /2537 सी0डी0/46-3-16-1000(28)/2016-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार (लेखा हकदारी), प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- महालेखाकार,(आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा, उ0प्र0, छठां तल, केन्द्रीय भवन,सेक्टर-एच,अलीगंज, लखनऊ।
4- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
5- प्रमुख सचिव, वन अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन।
6- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
7- सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
8- गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9- प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ।
10- निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
11- वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।
12- संबंधित जनपदों के मण्डलायुक्त।
13- संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी।
14- संबंधित जनपदों के प्रभागीय वनाधिकारी, उ0प्र0।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

15- संबंधित जनपदों के कोषाधिकारी।

16- संबंधित क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त/संयुक्त गन्ना आयुक्त, उ0प्र0।

17- नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-1/2,/ वन अनुभाग-5

19- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (बजट) अनुभाग-1,

20- गार्ड फाइल।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

आज्ञा से,

(सुबोध कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-37/2016 /2537 सी0डी0/46-3-16-1000(28)/2016 दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 का संलग्नक-1

वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-23 (सामान्य/आयोजनागत) के अन्तर्गत अंशदायी आधार पर कृषि विपणन सुविधाओं के लिये अन्तर्ग्रामीण सड़कों का निर्माण योजना (जिला योजना) हेतु शासनादेश संख्या 9/2016/1426 सी0डी0/46-3-16-1000(28)/2016 दिनांक 14.07.2016 द्वारा दी गयी प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष कतिपय मार्गों में निविदा दर कम होने, मैक्सफाल्ट की दर में कमी के फलस्वरूप हुई बचत।

(जनपद मुजफ्फरनगर, मेरठ, लखीमपुर एवं बस्ती के लिये)

जनपद/ संबंधित शासनादेश	सम्पर्क मार्ग का नाम	लंबाई (कि0 मी0)	लागत (ला0 रू0)	स्वीकृत राज्यांश (ला0 रू0)	देय राज्यांश की धनराशि में 0.50 प्रतिशत वानिकीकरण की धनराशि (ला0रू0)	सेन्टेज की धनराशि (ला0रू0)	मार्ग के निर्माण हेतु सेन्टेज/ वानिकीकरण की धनराशि रहित राज्यांश (ला0रू0)	बचत (निविदा दर कम आने व मैक्सफाल्ट की दरों में कमी होने के कारण)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
मुज़फ्फरनगर (14.07.2016)	**बडौत बुढाना मार्ग से सठेडी तक**	0.620	22.712	17.800	0.090	1.960	15.750	2.610
	तेजलहेडा से राजवाहे के पुल पक्की सड़क तक	0.753	23.770	18.630	0.090	2.050	16.490	3.890
	योग	**1.373**	**46.482**	**36.430**	**0.180**	**4.010**	**32.240**	**6.500**
मेरठ (14.07.2016)	**सटला-दुर्वेशपुर रोड से गावड़ी मार्ग**	0.610	25.734	20.17	0.100	2.22	17.85	3.18
	मेरठ रोहटा रोड गंगनहर पुल से रसूलपुर मढ़ी मार्ग	0.900	43.919	34.420	0.170	3.790	30.460	4.070
	योग	**1.510**	**69.653**	**54.59**	**0.270**	**6.010**	**48.310**	**7.250**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

लखीमपुर (14.07.2016)	**रकेहटी से बजरंगगढ**	1.000	47.190	36.980	0.180	4.070	32.730	0.010
	योग	**1.000**	**47.190**	**36.980**	**0.180**	**4.070**	**32.730**	**0.010**
बस्ती (14.07.2016)	**मझौआ यादवपुरवा से ग्राम कुचरूपुर सम्पर्क मार्ग**	1.000	54.100	42.400	0.210	4.670	37.520	0.424
	बस्ती कलवारी मार्ग से ग्रामसभा रानीपुर बेलीडी में राना कृष्ण किन्कर सिंह के घर से प्राइमरी स्कूल होते हुये पिचरोड तक	0.500	21.750	17.050	0.090	1.880	15.080	0.170
	योग	**1.500**	**75.850**	**59.450**	**0.300**	**6.550**	**52.600**	**0.594**
	महायोग	**5.383**	**239.175**	**187.450**	**0.930**	**20.640**	**165.880**	**14.354**

(रू0 एक करोड सत्तासी लाख पैतालिस हजार मात्र)

(सुबोध कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-37/2016 /2537 सी0डी0/46-3-16-1000(28)/2016 दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 का संलग्नक-2

वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-23 (सामान्य/आयोजनागत) के अन्तर्गत अंशदायी आधार पर कृषि विपणन सुविधाओं के लिये अन्तर्ग्रामीण सड़कों का निर्माण योजना (जिला योजना) हेतु शासनादेश संख्या 9/2016/1426 सी0डी0/46-3-16-1000(28)/2016 दिनांक 14.07.2016 द्वारा स्वीकृत सड़कों का निर्माण का कार्य हेतु स्वीकृत मार्गो में से कतिपय मार्गों में निविदा दर कम होने, मैक्सफाल्ट की दर में कमी के फलस्वरूप हुई बचत के दृष्टिगत स्वीकृत संशोधित कार्ययोजना/लागत व राज्यांश।

(जनपद मुजफ्फरनगर, मेरठ, लखीमपुर एवं बस्ती के लिये)

जनपद	सम्पर्क मार्ग का नाम	लंबाई (कि0 मी0)	लागत (ला0रू0)	स्वीकृत राज्यांश (ला0 रू0)	देय राज्यांश की धनराशि में 0.50 प्रतिशत वानिकीकरण की धनराशि (ला0रू0)	सेन्टेज की धनराशि (ला0रू0)	मार्ग के निर्माण हेतु सेन्टेज/ वानिकीकरण की धनराशि रहित राज्यांश (ला0रू0) **(5-(6+7)**
1	**2**	3	4	5	6	7	8
मुज़फ्फरनगर	**बडौत बुढाना मार्ग से सठेडी तक**	0.620	18.990	15.190	0.08	1.67	13.440
	तेजलहेडा से राजवाहे के पुल पक्की सड़क तक	0.753	18.420	14.740	0.07	1.62	13.050
	योग	**1.373**	**37.410**	**29.930**	**0.150**	**3.290**	**26.490**
मेरठ	**सटला-दुर्वेशपुर रोड से गावड़ी मार्ग**	0.610	21.65	16.99	0.08	1.87	15.040
	मेरठ रोहटा रोड गंगनहर पुल से रसूलपुर मढ़ी मार्ग	0.900	38.800	30.350	0.15	3.34	26.860
	योग	**1.510**	**60.450**	**47.340**	**0.230**	**5.210**	**41.900**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1	2	3	4	5	6	7	8
लखीमपुर	**रकेहटी से बजरंगगढ**	1.000	46.210	36.970	0.18	4.07	32.720
	योग	**1.000**	**46.210**	**36.970**	**0.180**	**4.070**	**32.720**
बस्ती	**मझौआ यादवपुरवा से ग्राम कुचरूपुर सम्पर्क मार्ग**	1.000	52.470	41.976	0.21	4.62	37.146
	बस्ती कलवारी मार्ग से ग्रामसभा रानीपुर बेलीडी में राना कृष्ण किन्कर सिंह के घर से प्राइमरी स्कूल होते हुये पिचरोड तक	0.500	21.100	16.880	0.08	1.86	14.940
	योग	**1.500**	**73.570**	**58.856**	**0.290**	**6.480**	**52.086**
	महायोग	**5.383**	**217.640**	**173.096**	**0.850**	**19.050**	**153.196**

(रू0 एक करोड़ तिहत्तर लाख नौ हजार छै सौ मात्र)

(सुबोध कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-37/2016 /2537 सी0डी0/46-3-16-1000(28)/2016 दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 का संलग्नक-3

वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-23 (सामान्य/आयोजनागत) के अन्तर्गत अंशदायी आधार पर कृषि विपणन सुविधाओं के लिये अन्तर्ग्रामीण सड़कों का निर्माण योजना (जिला योजना) हेतु शासनादेश संख्या 9/2016/1426 सी0डी0/46-3-16-1000(28)/2016 दिनांक 14.07.2016 द्वारा स्वीकृत सड़कों का निर्माण का कार्य हेतु स्वीकृत मार्गो में से कतिपय मार्गों में निविदा दर कम होने, मैक्सफाल्ट की दर में कमी के फलस्वरूप हुई बचत की धनराशि के सापेक्ष जनपद मुजफफरनगर तथा जनपद मेरठ में स्वीकृत की जा रही कुल 02 नयी सड़कों की कार्ययोजना/लागत व राज्यांश की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

(जनपद मुजफ्फरनगर, मेरठ के लिये)

जनपद	सं0	सम्पर्क मार्ग का नाम	लंबाई कि0मी0	आकलित लागत ला0रू0	शासनादेश के अनुसार लागत पर देय राज्यांश ला0रू0	देय राज्यांश की धनराशि में 0.50 प्रतिशत वानिकीकरण की धनराशि ला0रू0	सेन्टेज की धनराशि ला0रू0	मार्ग के निर्माण हेतु सेन्टेज/ वानिकीकरण की धनराशि रहित राज्यांश (ला0रू0) (6-(7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
मुज़फ्फरनगर	1	सुभाष के खेत से बिटावदा की ओर	0.235	8.260	6.500	0.03	0.72	5.75
	1	**योग**	**0.235**	**8.260**	**6.500**	**0.03**	**0.72**	**5.75**
मेरठ	1	मवाना परीक्षितगढ़ रोड से रामनगर अवशेष भाग	0.100	4.007	2.740	0.01	0.30	2.43
	1	**योग**	**0.100**	**4.007**	**2.740**	**0.010**	**0.300**	**2.430**
	2	**कुल योग**	**0.335**	**12.267**	**9.240**	**0.040**	**1.020**	**8.180**

(रू0 नौ लाख चौबीस हजार मात्र)

(सुबोध कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-37/2016 /2537 सी0डी0/46-3-16-1000(28)/2016 दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 का संलग्नक-4

वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-23 (सामान्य/आयोजनागत) के अन्तर्गत अंशदायी आधार पर कृषि विपणन सुविधाओं के लिये अन्तर्ग्रामीण सड़कों का निर्माण योजना (जिला योजना) हेतु शासनादेश संख्या 9/2016/1426 सी0डी0/46-3-16-1000(28)/2016 दिनांक 14.07.2016 द्वारा जनपद मेरठ की सड़क स्वीकृत सडक हसनपुर से रछौती तक हेतु स्वीकृत कार्ययोजना/लागत व राज्यांश

जनपद	सम्पर्क मार्ग का नाम	लंबाई कि0मी0	अनुमानित लागत ला0रू0	स्वीकृत राज्यांश ला0रू0	देय राज्यांश की धनराशि में 0.50 प्रतिशत वानिकीकरण की धनराशि ला0रू0	सेन्टेज की धनराशि ला0रू0	मार्ग के निर्माण हेतु सेन्टेज/ वानिकीकरण की धनराशि रहित राज्यांश (ला0रू0) (5-(6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
मेरठ	हसनपुर से रछौती तक	1.400	47.999	37.620	0.190	4.140	33.290
	योग	**1.400**	**47.999**	**37.620**	**0.190**	**4.140**	**33.290**

(रू0 सैत्तीस लाख बासठ हजार मात्र)

(सुबोध कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-37/2016 /2537 सी0डी0/46-3-16-1000(28)/2016 दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 का संलग्नक-5

वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-23 (सामान्य/आयोजनागत) के अन्तर्गत अंशदायी आधार पर कृषि विपणन सुविधाओं के लिये अन्तर्ग्रामीण सड़कों का निर्माण योजना (जिला योजना) हेतु शासनादेश संख्या 9/2016/1426 सी0डी0/46-3-16-1000(28)/2016 दिनांक 14.07.2016 द्वारा जनपद मेरठ की स्वीकृत सडक हसनपुर से रछौती तक, के संबंध में वास्तविक कार्ययोजना/लागत व राज्यांश की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

जनपद	सम्पर्क मार्ग का नाम	लंबाई कि0मी0	अनुमानित लागत ला0रू0	स्वीकृत राज्यांश ला0रू0	देय राज्यांश की धनराशि में 0.50 प्रतिशत वानिकीकरण की धनराशि ला0रू0	सेन्टेज की धनराशि ला0रू0	मार्ग के निर्माण हेतु सेन्टेज/वानिकीकरण की धनराशि रहित राज्यांश (ला0रू0) (5-(6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
मेरठ	हसनपुर से रछौती तक	1.400	52.840	42.130	0.210	4.630	37.290
	योग	**1.400**	**52.840**	**42.130**	**0.210**	**4.630**	**37.290**

(रू0 बयालिस लाख तेरह हजार मात्र)

(सुबोध कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in